समाचार पत्र पंजीयन क्र.: MPBIL/2004/13955 डाक पंजीयन संख्या: म.प्र./भोपाल/4–461/2018–20 मूल्य : रू. 10/–

Reg.No.:756-13.02.1960

उद्यम प्रेरणा

(एमएसएमई की सशक्त आवाज)

NABET Gold Category

पाक्षिक–वर्ष: 16 अंक: 04 भोपाल दि.–25.02.2019

(परिपत्र क्र. 04–06)

म.प्र. के औद्योगिक विकास को और अधिक गति प्रदान करने हेतु एमएसएमई से संबंधित म.प्र. शासन से आर्गेनाइजेशन की अपेक्षाएँ

1. म.प्र. औद्योगिक भूमि एवं भवन आवंटन नियम:–

म.प्र. में औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग लगाने हेतु शासन एवं शासकीय उपक्रमों द्वारा जो जमीन लीज़ पर दी जा रही है। इस जमीन को अगर सरकार फ्री होल्ड करती है तो उद्योगों को काफी राहत होगी तथा शासन को भी काफी राजस्व प्राप्त होगा, इससे होने वाले लाभ निम्न प्रकार है।

i) फ्री होल्ड जमीन होने से उद्योग, उसे बैंक फर्स्ट चार्ज में मॉर्टगेज कर सकेंगी जिससे ऋण लेना आसान होगा।

ii) बीमार उद्योगों को इससे अपनी रूग्णता ठीक करने मे आसानी होगी।

iii) बंद उद्योगों में भी फाइनेन्शीयल सेटलमेन्ट और एक्ज़िट करने में उद्योगों को बड़ी राहत मिलेगी।

iv) वर्तमान में जो गलत तरीके से लीज की जमीन की खरीद फरोख्त हो रही है, उसमें शासन को बहुत बड़ी राजस्व की हानि हो रही है, वह समाप्त हो जायेगी।

v) फ्री होल्ड होने पर शासन को एकमुश्त राजस्व प्राप्त होगा एवं पारदर्शिता भी रहेगी।

vi) उद्योगों को मार्टगेज द्वारा पूंजी की उपलब्धता बढ़ेगी।

2. म.प्र. की औद्योगिक नीति के तहत एम.एस.एम.ई. को अनुदान:–

दिनांक 01.04.2018 से एमएसएमई से 40 प्रतिशत अनुदान का 5 किश्तों मे प्रावधान किया गया है जो कि आकर्षक नहीं है। इस नीति में अन्य अनुदान जैसे नवीन उद्योगों को सेल्स टैक्स, प्रवेश कर में छूट, ब्याज अनुदान एवं विद्युत संबंधी छूट के सभी प्रावधान खत्म हो गए है। हमारा सुझाव है कि 2014 की उद्योग नीति के अन्तर्गत उद्योगों के मिलने वाले अनुदान के लाभ को पूर्वत रखा जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा उद्योगों को प्रोत्साहन राशि मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगेंगे।

3. संधारण शुल्क/विकास शुल्क तथा सम्पत्ति कर:–

प्रदेश के समस्त औद्योगिक क्षेत्रों एवं विकास केन्द्रों मे स्थित औद्योगिक इकाइयों से जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं औद्योगिक केन्द्र विकास निगम द्वारा संधारण शुल्क/विकास शुल्क लिया जाता है, साथ ही स्थानीय प्रशासन विभाग द्वारा सम्पत्ति कर भी लिया जा रहा है, जो उद्योगों पर दोहरा करारोपण है। अतः एक कर को हटाया जावे और उद्योगों को त्वरित राहत प्रदान की जाये।

4. श्रम विभाग:–

4.1 फैक्ट्री लाइसेंस पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क:–

1 जनवरी 2002 से फैक्ट्री एक्ट लायसेन्स फीस का पुनः निर्धारण किया गया है जिसके तहत प्रत्येक 3 वर्ष में फैक्ट्री लाइसेंस फीस 30 प्रतिशत अपने आप बढ़ जावेगी का प्रावधान किया गया है, ऐसी स्थिति में 25 वर्षों में फैक्ट्री लाइसेन्स फीस स्वमेव ही दस गुना बढ़ जावेगी, जिससे इकाइयों पर बहुत बड़ा आर्थिक भार पड़ रहा है। जिसके कारण इकाई रूग्ण होगी तथा औद्योगिकरण पर प्रतिकूल प्रभाव होगा, साथ ही बेरोजगारी बढ़ेगी। इसे युक्ति–युक्त बनाया जाये और उद्योगों को राहत दी जाये।

4.2 कारखाना अधिनियम से संबंधित प्रकरणों को न्यायिक न्यायालय के बजाय श्रम न्यायालयों मे सुनवाई बावत्:–

वर्तमान में कारखाना अधिनियम से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई जिला सत्र न्यायालयों मे फौजदारी प्रकरण के तहत की जाती है। इस संबंध में हमारा सुझाव है कि ऐसे प्रकरणों की सुनवाई वरिष्ठ श्रम अधिकारी /श्रम न्यायालय द्वारा की जावे तथा विशेष प्रकरणों को ही श्रम न्यायालय की अनुशंषा पर जिला सत्र न्यायालय को अग्रेषित किया जावे। इससे प्रकरणों का जल्द निराकरण होगा और फौजदारी न्यायालयों में होने वाली कठिनाईयों से उद्यमियों को राहत मिल सकेगी।

5. विद्युत विभाग:–

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों/केन्द्रों पर वर्ष 2018–19 से आरोपित शहरी क्षेत्र की विद्युत दर के स्थान पर वर्ष 2017–18 की भांति ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावशील विद्युत दर लागू किया जावे।

: प्रधान सम्पादक : विपिन कुमार जैन

: सम्पादक : कैलाश अग्रवाल अजय नाहर सुनील कुमार गोठी

M.P. Small Scale Industries Organization

E-2/30, Arera Colony, Bhopal - 462016 (MP)

परिपत्र क्रमांक : 04

जीएसटी काउंसिल मीटिंग में पॉलीसी निर्णयों पर एक नजर

जीएसटी काउंसिल अपने 31वें संस्करण में नई दिल्ली में हुई बैठक ने निम्नलिखित नीतिगत सिफारिशें कीं।

1. प्रत्येक टेक्स हेड के लिए एक एकल नकद बहीखाता होगा। जीएसटीएन और लेखा अधिकारियों के परामर्श से कार्यान्वयन के तौर–तरीकों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

2. केन्द्र या राज्य कर प्राधिकारियों द्वारा स्वीत रिफंड राशि के संवितरण के लिए एकल प्राधिकरण की एक योजना को पायलट आधार पर लागू किया जाएगा। शीघ्र ही इसके लिए तौर–तरीकों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

3. नया रिटर्न फाइलिंग सिस्टम 01.04.2019 से परीक्षण के आधार पर और 01.07.2019 से अनिवार्य आधार पर पेश किया जाएगा।

4. वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख Form GSTR-9, Form GSTR-9A और में सुलह बयान फार्म GSTR-9C वित्तीय वर्ष 2017 के लिए – 2018 को 30.06.2019 तक बढ़ाया जाएगा।

5. निम्नलिखित स्पष्ट परिवर्तन, सदा, करदाताओं द्वारा वार्षिक रिटर्न/सुलह बयान के अनुसार प्रारूप/ निर्देशों में किया जाना चाहिएः

   i. प्रपत्रों में शीर्षकों का संशोधन यह निर्दिष्ट करने के लिए कि रिटर्न इन फार्म GSTR-9 Form GSTR-9A आपूर्ति के संबंध में होगा न कि वर्ष के दौरान किए गए और वर्ष के दौरान दर्ज किए गए रिटर्न में घोषित के रूप में;

   ii. सभी फार्म GSTR-1 and Form GSTR-3B फार्म को GSTR-9 and Form GSTR-9C दाखिल करने से पहले दाखिल करना होगा या

   iii. फार्म जीएसटीआर–4 को फार्म GSTR-9A दाखिल करने से पहले दाखिल करना होगा

   iv. एचएसएन कोड केवल उन आवक आपूर्ति के लिए घोषित किया जा सकता है, जिनका मूल्य स्वतंत्र रूप से आवक आपूर्ति के कुल मूल्य का 10 प्रतिशत या अधिक हैः

   v. अतिरिक्त भुगतान, यदि कोई हो, का भुगतान किया जाना आवश्यक है फार्म जीएसटी डीआरसी–03 के द्वारा केवल नकदी मेंः

   vi. आई.टी.सी. का लाभ नहीं उठाया जा सकता है फार्म GSTR-9 and Form GSTR-9C

   vii. पिछले वित्त वर्ष से संबंधित सभी चालान (महीने की परवाह किए बिना जिसमें इस तरह के चालान की सूचना दी गई है फार्म GSTR-1 में) की तालिका 8A में ऑटो–पोपुलेट होगी फार्म जीएसटीआर–9

   viii. गैर–जीएसटी आपूर्ति के मूल्य में ''कोई आपूर्ति नही'' का मूल्य भी शामिल हो सकता है और तालिका 5डी 5ई और 5एफ में सूचित किया जा सकता है फार्म जीएसटीआर–9

   ix. रीकोंसिलेसन स्टेटमेंट अपलोड करने वाले करदाता द्वारा सत्यापन में शामिल किया जाएगा फार्म जीएसटीआर–9सी

6. प्रस्तुत करने की नियत तिथि फार्म जीएसटीआर–8 अक्टूबर, नवम्बर और दिसम्बर 2018 के महीनों के लिए ई–कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा 31.01.2019 तक बढ़ाया जाएगा।

7. जमा करने की नियत तारीख फार्म जीएसटी आईटीसी–04 जुलाई 2017 से दिसम्बर 2018 की अवधि के लिए 31.03.2019 तक बढ़ाया जाएगा।

8. वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी किए गए चालानों के संबंध में आई.टी.सी. प्राप्तकर्ता द्वारा प्रस्तुत करने की नियत तारीख तक प्राप्त किया जा सकता है फार्म जीएसटीआर–3 बी मार्च, 2019 के महीने के लिए, निर्दिष्ट शर्तों के अधीन।

9. रिफंड के लिए दावे के संबंध में सभी सहायक दस्तावेज/चालान Form GST RFD-01A को रिफंड आवेदन के दाखिल होने के समय आम पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपलोड किया जाएगा, जिससे करदाता को रिफंड आवेदन जमा करने के लिए कर कार्यालय की भौतिक रूप से यात्रा करने की आवश्यकता पर बल मिलेगा। जीएसटीएन शीघ्र ही सामान्य पोर्टल पर इस कार्यक्षमता को सक्षम करेगा।

10. रिफंड के निम्नलिखित प्रकार फार्म जीएसटी आरएफडी–01, माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।
   i. मूल्यांकन/अंतिम मूल्यांकन/अपील/किसी अन्य आदेश के कारण धनवापसीय
   ii. इंट्रा–स्टेट आपूर्ति पर कर का भुगतान किया जाता है जिसे बाद में अंतर–राज्य आपूर्ति और इसके विपरीत आयोजित किया जाता है।
   iii. कर का अतिरिक्त भुगतान तथा
   iv. कोई अन्य धनवापसी।

11. में धनवापसी के लिए आवेदन के मामले में फार्म जीएसटी आरएफडी–01 (कैश लेजर में अतिरिक्त बैलेंस की वापसी से संबंधित) को छोड़कर जो सामान्य पोर्टल पर बिन्दु (10) में वर्णित कार्यक्षमता से बाहर रोल से पहले उत्पन्न होते है, और जो अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत नहीं किए गए है एआरएन की पीढ़ी के 60 दिनों के भीतर कर कार्यालय, दावेदारों को अपने पंजीकृत ईमेल आईडी पर संचार भेजा जाएगा जिसमें जानकारी होगी कि उक्त धनवापसी आवेदन कहां जमा करना है। यदि ईमेल की तारीख के 15 दिनों के भीतर आवेदन प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, तो उक्त रिफंड आवेदनों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा, और डेबिट राशि, यदि कोई हो, को दावेदार के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट बही के लिए फिर से क्रेडिट किया जाएगा।

12. माइग्रेशन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक और खिड़की की अनुमति दी जा रही है। उन करदाताओं के लिए नियत तारीख, जिन्होंने पूरा दाखिल नहीं किया था फार्म जीएसटभ आरईजी–26 लेकिन न्यायिक नोडल अधिकारी को अपेक्षित विवरण प्रस्तुत करने के लिए 31.12.2017 तक केवल एक अंतिम आईडी (पीआईडी) प्राप्त हुआ, जिसे 31.01.2019 तक बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा, प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख फार्म जीएसटीआर– 3बी तथा फार्म जीएसटीआर–1 ऐसे करदाताओं द्वारा जुलाई, 2017 से फरवरी, 2019/ क्वार्टर जुलाई, 2017 से दिसम्बर, 2018 की अवधि के लिए 31.03.2019 तक बढ़ाया जाएगा।

13. सभी करदाताओं के लिए विलंब शुल्क पूरी तहर से माफ कर दिया जाएगा यदि फार्म जीएसटीआर–1, फार्म जीएसटीआर–3बी – फार्म जीएसटीआर–4 महीने/तिमाहियों के लिए जुलाई, 2017 से सितम्बर, 2018, 22.12.2018 के बाद या 31.03.2019 को या उससे पहले सुसज्जित है।

14. जिन करदाताओं ने लगातार दो कर अवधि के लिए रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उन्हें ई–वे बिल बनाने से प्रतिबंधित किया जाएगा। जीएसटीएन/एनआईसी आवश्यक कार्यक्षमता उपलब्ध कराने के बाद यह प्रावधान प्रभावी हो जाएगा।

15. स्पष्टीकरण आईटीसी की वापसी कर्तव्य संरचना, निर्धारित समय के भीतर रिफंड के संवितरण के कारण संचित जैसे कुछ वापसी संबंधी मामलों पर जारी किया जाएगा, समय चालानों में आईटीसी की availment, संचित मुआवजा उपकर आईटीसी आदि की वापसी के लिए अनुमति दी।

16. सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 द्वारा किए गए परिवर्तन, आईजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 यूटीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 और जीएसटी (राज्य के लिए मुआवजा) संशोधन अधिनियम, 2018 और एसजीएसटी अधिनियमों में इसी परिवर्तन से प्रभावी सूचित कर दिया जाएगा। 2019/02/01.

जीएसटी परिषद् की उपरोक्त सिफारिशों को लागू करने के लिए अपेक्षित अधिसूचनाएं/ परिपत्र शीघ्र ही जारी किए जाऐगे।

* * * * *

Source: Commercial Taxes View, Badmer
Vol. 36, Issue: 417 January, 19

Ref.: MPSSIO/23/2018-19/

परिपत्र क्रमांक : 05

2018–19 के लिए नए पैन नियम

आपको जानने की आवश्यकता हैः एक आवश्यक जानकारी

नई दिल्ली, 26 दिसंबर : आयकर (आईटी) विभाग ने 2018 में आयकर नियमों, 1962 में संशोधन करके स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड के लिए कई नए नियमों की घोषणा की। आईटी विभाग ने पैन नियमों के साथ निम्न बदलाव किए है। कर चोरी के मामलों को टालने का लक्ष्य। नए नियम 5 दिसंबर 2018 से लागू हुए। केन्द्रीय बोर्ड प्रत्यक्ष कर (सीबीडीटी) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख रूपये या उससे अधिक का कारोबार करने वाले सभी संस्थाओं के लिए 31 मई, 2018 को या उससे पहले पैन कार्ड के लिए आवेदन करना अनिवार्य है। यह केवल उन संस्थाओं के लिए अनिवार्य है जिन्हें अभी तक कोई पैन कार्ड आवंटित नहीं किया गया है।

आयकर विभाग द्वारा हर करदाता को आवंटित पैन 10 अंकों की एक विशिष्ट पहचान है। संशोधित नियम यह भी कहते हैं कि पिता के नाम को प्रस्तुत करना उस व्यक्ति के लिए अनिवार्य नहीं होगा, जिसकी मॉ एकल माता–पिता है। इसका अर्थ है, यदि कोई व्यक्ति 5 दिसंबर, 2018 को या उसके बाद पैन के लिए आवेदन करता है, तो उसे आवेदन में पिता के नाम को अनिवार्य रूप से उधृत करने की आवश्यकता नहीं होगी। आईटी विभाग आवेदकों के लिए गैर–अनिवार्य के पिता के नाम का उल्लेख करता है।

2018–19 के लिए नए पैन नियमों पर एक नजर डालें:

कम से कम 2.5 लाख का लेनदेन करने वाली सभी संस्थाओं के लिए पैन अनिवार्यः

कर चोरी रोकने के लिए एक बोली में, आईटी विभाग ने एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 2.5 लख लेनदेन करने वाली सभी संस्थाओं के लिए पैन कार्ड ही होल्डिंग अनिवार्य कर दी है। अन्य करदाताओं के अलावा, यह नियम प्रबंध निदेशक, निदेशक, साझेदार, ट्रस्टी, लेखक, संस्थापक, सीईओ या पदाधिकारी सहित छोटी संस्थाओं के व्यक्तियों पर लागू होता है।

31 मई तक पैन कार्ड के लिए आवेदन करने वाली गैर–व्यक्तिगत संस्थाएँ:

एक व्यक्ति, जो प्रबंध निदेशक, निदेशक, साझेदार, ट्रस्टी, लेखक, संस्थापक है, जिनके पास 31 मई को या उससे पहले एक स्थायी खाता संख्या नहीं है, को तुरंत उस वित्तीय वर्ष के बाद पैन कार्ड के लिए आवेदन करना होगा, जिसमें व्यक्ति संदर्भित वित्तीय लेनदेन में प्रवेश करता है।

नया नियम कहता है, एक व्यक्ति के मामले में, एक निवासी होने के अलावा, एक व्यक्ति के अलावा, जो एक वित्तीय वर्ष में दो लाख पचास हजार रूपये या उससे अधिक की कुल राशि के वित्तीय लेनेदन में प्रवेश करता है और जिसे कोई आवंटित नहीं किया गया है ऐसे वित्तीय वर्ष के तुरंत बाद, 31 मई को या उससे पहले स्थायी खाता संख्या।

पैन प्राप्त करने के लिए सभी निकायः

सभी संस्थाओं को अब पैन कार्ड प्राप्त करना होगा भले ही कुल बिक्री, टर्नओवर या सकल प्राप्तियां एक वित्तीय वर्ष में 5 लाख रूपये से अधिक होने की संभावना नहीं है। यह प्रक्रिया आयकर विभाग को सभी वित्तीय लेनदेन को ट्रैक करने में मदद करेगी।

पैन प्राप्त करने के लिए सभी निकायः

नए नियमों के साथ, पैन अनुप्रयोगों के लिए पिता के नाम को उधृत करना उन मामलों में अधिक अनिवार्य नहीं है जहां आवेदक की मां एकल माता–पिता है। इससे पहले, स्थायी खाता संख्या (पैन) का लाभ उठाने के लिए पिता के नाम को प्रस्तुत करना आवश्यक था।

अपना पैन कार्ड सिर्फ चार घंटे में प्राप्त करें:

कोई भी व्यक्ति जिसने पैन के लिए आवेदन किया है, 10 अंकों की एक अल्फान्यूमेरिक पहचान, इसे चार घंटे में प्राप्त कर लेगा। टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, सीबीडीटी के चेयरमैन श्री सुशील चंद्र ने उद्योग सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि चार घंटे में पैन का आवंटन एक साल के भीतर शुरू होने की उम्मीद है।

आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के लिए पैन कर पहचान संख्या अनिवार्य है और इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से लागू किया जा सकता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 2 लाख रूपये से अधिक के किसी भी लेनदेन के लिए पैन कार्ड अनिवार्य है। इसके अलावा, कई अन्य गतिविधियों जैसे बैंक खाता खोलने और पहचान प्रमाण के लिए पैन कार्ड अनिवार्य है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पैन कार्ड के लिए आवेदन भारतीय नागरिकों के लिए फार्म 49ए और विदेशी नागरिकों के लिए फॉर्म 49एए में किया जाना है।

* * * * *

Source: Commercial Taxes View, Badmer
Vol. 36, Issue: 417 January, 19

Ref.: MPSSIO/23/2018-19/

परिपत्र क्रमांक : 06

IMPORTANT HIGHLIGHTS OF UNION BUDGET 2019

Finance minister Piyush Goyal on 1st February 2019 presented the much awaited Interim Union Budget 2019 in Lok Sabha. Let's have a look at the important aspects of Union Budget 2019.

- All farmers affected by natural disasters to get 2% interest subvention upfront for entire loan period
- Current account deficit for 2018/19 seen at 2.5% of GDP
- Farmers up to 2 hectare of land to come under PM Kisan scheme
- Government launches mega pension scheme for social security coverage of unorganised labour
- Fiscal deficit for 2018/19 seen at 3.4% of GDP
- Recovered Rs.3 lakh crore via bankruptcy code
- Bank of India, Bank of Maharashtra and Oriental Bank no more under RBI's prompt corrective action
- Poor farmers to get Rs.6,000 per year under PM Kisan scheme
- PM Kisan to transfer cash directly to farmers under PM Kisan scheme
- Poor farmers to get cash in three equal installments under PM Kisan scheme
- PM Kisan scheme for poor farmers to cost government Rs.75,000 crore FY20
- PM Kisan scheme for poor farmers to get Rs.20,000 crore in FY19
- PM Kisan scheme to transfer cash directly to farmers' accounts
- PM Kisan scheme to start transfer of cash with effect from December 2018
- Government announces Rashriya Gokul Mission to support poor owning cows
- Rashriya Gokul Mission cow scheme to get Rs.750 crore in the current year
- Central government to alone support PM Kisan scheme
- All farmers affected by natural disasters to get 2-5% interest subvention
- Gratuity cap doubled to Rs.20 lakh
- Government to contribute equally in pension accounts under mega pension scheme
- Unorganised labour to get Rs.3,000 per month after age of 60 under mega pension scheme
- Government to implement mega pension scheme for unorganised labour from this year itself
- Mega pension scheme is for people with income up to Rs.15,000 per month
- PM mega pension scheme to benefit 10 crore people
- Total of 8 crore cooking gas cylinders to be distributed by next year under PM Ujwala Yojna
- Government to contribute 14% under New Pension Scheme
- India is the second biggest hub for start-ups
- A National Programme for Artificial Intelligence covering 9 areas to be promoted
- Government projects to source 25% material from SMEs, 3% from only women-owned SMEs
- GEM platform to cover all public sector enterprises to promote local industry, trade
- SME loans with ticket size of Rs.1 crore to get 2% interest subvention
- Defence Budget crosses Rs.3 lakh crore mark in FY20 Budget
- Budgetary support for railways for FY20 is Rs.64,587 crore
- Railways' operating ratio seen at 96.2% in FY19, 95% in FY20
- North-east states to get 21% higher budget allocation at Rs.58,166 crore in FY20

- Will set up 1 lakh digital villages in next 5 years
- JAN Dhan, Aadhar and mobile have been game changers
- 34 crore Jan Dhan bank accounts opened in last 5 years
- Single window clearance to be made available to Indian film makers
- TV: Railways FY20 capex seen at Rs.1.58 lakh crore
- Direct tax collections estimated at Rs.12 lakh crore in FY19
- Poised to become a $5 trillion economy in 5 years
- Aspire to become a $10 trillion economy in 8 years
- Rs.1.3 lakh crore undisclosed income brought under tax net
- 3,38,000 shell companies detected and their directors disqualified
- Average GST collection Rs.97,100 crore
- Government lays out 10-year roadmap to improve ease of living
- Making India a pollution-free India in 10-year roadmap
- To lead world in transport and energy storage devices
- To bring down dependent on imports for energy needs
- Roadmap envisions people traveling in electric cars
- Tenth dimension of government's India 2030 vision is a healthy governance
- Fiscal deficit pegged at 3.4% of GDP for FY20
- Fifth dimension of government's India 2030 vision is clean rivers
- Government to scale up Sagarmala programme
- Seventh dimension of India 2030 is to lead in space programmes
- Eighth dimension of India 2030 is to grow food in environment friendly manner
- Ninth dimension of India 2030 is a healthy India
- Tenth dimension of India 2030 programme is a comprehensive wellness system
- FY20 total expenditure seen at Rs.27.84 trillion rupees
- FY20 capital expenditure seen at Rs.3,36,292 crore
- Central schemes to get Rs.3,27,679 crore FY20
- National education mission to get Rs.38,572 crore FY20
- Integrated child development scheme to get Rs.27,584 crore FY20
- SC, ST welfare to get Rs.76,800 crore FY20
- Salary earners, pensioners to get tax benefit
- Salary earners up to Rs.5,00,000 annual income to get full tax rebate
- No income tax for income up to Rs.5,00,000
- Salary earners of up to Rs.6,50,000 income to not pay tax if they make tax related investments
- Standard deduction to be raised from Rs.40,000 to Rs.50,000
- No tax if you own second house
- No TDS on post office savings up to Rs.40,000
- No TDS on rental income up to Rs.2,40,000 per year
- No tax on notional rent on second house
- Capital gains tax exemption under Section 54 raised to Rs.2 crore
- Tax on notional rent on unsold inventory to not be paid for 2 years

* * * * *

Ref.: MPSSIO/23/2018-19/

Industrial ENGINEERING EXPO 2019

CONCURRENT EVENTS

PLAST PACK & PRINT EXPO 2019

ELECTRICALS & ELECTRONICS EXPO 2019

PUMPS, VALVES & SYSTEMS EXPO 2019

BHOPAL 8 9 10 11 MAR 2019

DUSSEHRA MAIDAN, BITTAN MARKET GROUND,
NEAR ARERA COLONY

FOR PARTICIPATION CALL

9826887800, 9826497000, 9981224262, 9827044408

futuretradefairs@gmail.com, industrialenggexpo@gmail.com

www.eng-expo.in

वर्ष: 16 अंक: 04 दि.–25.02.2019

Posted on 28th February 2019

हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ

सुनील भार्गव

भारत सरकार, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय तथा प्रशिक्षण महा निदेशालय नई दिल्ली द्वारा म.प्र. की 74 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के उन्नयन हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मोड के अन्तर्गत चयनित गया है, जिसमे से लगभग 50 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में गठित आई.एम.सी. के चेअरमेन एवं सदस्य आर्गेनाइजेशन के प्रस्ताव/सुझाव पर राज्य शासन द्वारा नियुक्त किये गये है। जिसमे शासकीय महिला आई.टी.आई. भोपाल के आई.एम.सी. के चेअरमेन के रूप में **श्री सुनील भार्गव** की नियुक्ति राज्य शासन द्वारा की गई थी। यह हर्ष का विषय है कि भारत सरकार द्वारा किये गये श्रेणीकरण (Grading) के तहत 212 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (100 शासकीय + 112 निजी) मे से **शासकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था भोपाल को दूसरा** स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही भारत सरकार द्वारा भोपाल की गोविन्दपुरा स्थित तीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (मॉडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था एवं गैस राहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था) को आपस मे मर्ज कर एक आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बनाया गया है, जिसके आई.एम.सी. के चेअरमेन के रूप में **श्री सुनील भार्गव,** चेअरमेन महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भोपाल को अधिकृत किया गया है। इस उपलब्धि हेतु महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के आई.एम.सी. के **चेअरमेन श्री सुनील भार्गव को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।**

MPSSIO की ओर से संपादक **विपिन कुमार जैन** द्वारा **मोना इन्टरप्राईजेस, न्यू मार्केट, भोपाल** से मुद्रित, **विपिन कुमार जैन** द्वारा प्रकाशित तथा **ई–2/30, महावीर नगर, अरेरा कालोनी, भोपाल 462016** में प्रकाशित Ph.: 0755–2467714, 4917785 email: mpssio@rediffmail.com, Website: www.mplus.co.in